।।कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 2100/12-1 दिनांक, पुरोला, 15-03-2019।

सेवामें,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय– जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी के अतर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता के जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपके कार्यालय की ई0डी0 एस0 क्वेरी दिनांक 02–03–2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई0डी0 एस0 क्वेरी से प्राप्त आपत्ति का निराकरण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा कर दिया गया हैं जिसका ऑनलाईन एवं ऑफलाईन निस्तारण कर संलग्न प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

Scanned by CamScanner

एसजेवीएन लिमिटेड
जखोल–सांकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट
मोरी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)– 249128
☎: 01373-234432.

Website:www.sjvn.nic.in
CIN: L40101HP1988GOI0084

पत्रांक–एसजेवीएन / जसांजविपरि / वन भूमि / 19–14-15 दिनांकः 12.03.2019

सेवामें,

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क,
पुरोला, उत्तरकाशी।

3. उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मे0वा0 क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः वन संरक्षक कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 2358 / FP /UK/ HYD/ 22889/2016 दिनांक 01.03.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र का अवलोगन करने का कृपा करें इस सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा चाही गयी आख्या उप–वन संरक्षक, टोन्स प्रभाग पुरोला / उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क पुरोला के पत्रांक 1420 / 12–1 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या एसजेवीएन / परि0प्रमुख / जसांजविपरि / 19–10 दिनांक 03.01.2019 को संलग्न कर पूर्व में आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है जिसका प्रतिउत्तर निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	ई0डी0एस0क्वैरी	प्रतिउत्तर	टिप्पणी
1.	The authority letter uploaded is for Sh. J.K. Mahajan at para A-3 (xvii) online part-1 while the applicant details filled are for sh. Gambhir Singh Pundir at A-3.	The applicant detail sh. J.K. Mahajan A-3 online part-1 has been filled.	
2.	At para B 2.3 online part-1 village wise breakup uploaded for area 16.804 Ha only while the detail to Notional land as per land schedule uploaded as additional document in part-1 of 5.2630 Ha and RF area 2.25 ha is not given at para B 2.3.	At para B 2.3 online part-I village wise breakup including Notional land i.e. 22.067 ha has been revised and RF area 2.25 ha has been also mentioned at para B 2.3 part-I	
3.	In para B 2.4 component wise	As desired at para B 2.4 Co-ordinate has	

Scanned by CamScanner

	provided for 36 components in forest and non forest area while only 8 components are shown in the digital map uploaded online.	been provided for the project component and above has been mentioned in the digital map according to project component duly authenticated by DFO/Dy. Director (Wild Life)	
4.	A single KML file required to be uploaded for the whole project showing all component as per para B 2.4 online part-I instead of patch wise.	A single KML file online part-I mentioning all component has been uploaded.	
5	Justification for locating the project in the forest land required to be authenticated by DFO.	Justification for locating the project in the forest land has been signed by DFO at para D (I)	
6.	The density given for Govind Pushu Vihar Division is 0.4 appears to be wrong in view of felling involved i.e. 69 trees/ ha.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण में 22.067 है0 भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि में 69 वृक्षों को पातन किया जाना है, जिनका घनत्व 0.1 होगा ।	संशोधन कर दिया गया है।
7.	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the Govind Pushu Vihar Division.	गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण हेतु 22.067 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसकी देयता एन0पी0वी0 की सबसे न्यूनतम 6.57 लाख प्रति है0 की दर से मु0–1,44,98,019.00 बनती है।	संशोधन कर दिया गया है।
8.	There are no tree enumeration provided for Tons Division while the density is shown as 0.4 and the NPV is calculated for dense forest.	टोन्स वन प्रभाग, पुरोला से खनन हेतु 2.25 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, परन्तु कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण इसका घनत्व शून्य है। जिसकी देयता एन0पी0वी0 की सबसे न्यूनतम 6.57 लाख प्रति है0 की दर से मु0–14,78,250.00 होगी।	संशोधन कर दिया गया है।
9.	The column after para 30 are not visible online part-II	भाग दो के पैरा–13 में दर्ज बिन्दुओं को पुनः ठीक कर दिया गया है।	
10.	In the implementation agreement the capacity is said to be 33 MW (3x11) while the proposal is for 44 MW	Initially the implementation agreement has been signed between SJVN and Govt. of Uttarakhand for the capacity of 33 MW. During survey and investigation, the project capacity redesigned and the capacity of project has been enhanced to 44 MW. The same has been submitted to state Govt. of Uttarakhand for approval of TEC (44 MW). Approval/ TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. Accordingly, revised implementation agreement (from 33 MW to 44 MW) shall not be required.	
11.	Administrative approval and Techno-economic clearance of the state of Uttarakhand is neither found uploaded in online part-I & II nor provided in hard copy of the proposal.	An undertaking in this regard has been provided by undersigned as the approval/ TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. Proposal may please be considered for further action. The same will be submitted after getting from state Govt. of Uttarakhand.	A certificate in this regard has been submitted by undersigned
12.	Most of the documents in the proposal submitted are in photo copy.	The documents like Part-I to V, compensatory a forestation plan, NOC	

Addl. GM (HOP)
अपर महा... बंधक (परियोजना प्रमुख)
J.S. HEP, MORI, UTTARKASHI, U.K.
जखोल सांकरी, ज... मोरी,
उत्तरकाशी, उत्तराखं... 249128

Scanned by CamScanner

		under Forest Right Act from village level committee, Block level committee and District level committee, Certificate of utilization for compensatory a forestation, estimate of NPV amount & bill for NPV in original along with proposal are enclosed, however other document shall be attested if required.	
13.	Muck disposal plan submitted by the user agency is not verified by DFO.	Muck disposal plan has been signed/ verified by DFO is attached.	

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा चाही गयी आख्या बिन्दु 1 से 13 तक उपरोक्तानुसार प्रेषित है।

यह परियोजना भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है तथा इस परियोजना का निर्माण जनहित में किया जाना है । वन भूमि हस्तान्तरण को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार एवं एसजेवीएन के मध्य इस वित्तीय वर्ष में MOU target के अधीन है।

अतः उपरोक्त विषक के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

भवदीय

(जे0के0 महाजन)
अपर महाप्रबन्धक/परि0 प्रमुख

Addl. GM (HOP)
अपर महा प्रबन्धक (परियोजना प्रमुख)
J.S. HEP., MORI, UTTARKASHI, U.K.
जखोल सांकरी, ज.वि.प., मोरी,
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड–249128

Scanned by CamScanner